

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12548 / 3340

दिनांक :- 29.03.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सुल्तान सिंह मीना [लिंक न. 12548] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

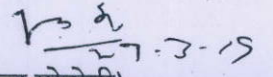
दिनांक 06/11/2017 से 06/11/2017 तक 1 दिवस

दिनांक 09/11/2017 से 16/11/2017 तक 8 दिवस

दिनांक 30/07/2018 से 03/08/2018 तक 5 दिवस

कुल 14 दिवस

उक्त कुल 14 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सुल्तान सिंह मीना की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12548 / 3340

दिनांक :- 29.03.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।
2. कोषाधिकारी, अजमेर।
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सुल्तान सिंह मीना [12548] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)